न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री बाबूलाल जाट आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 43/2022(राजस्व प्रार्थना पत्र)

दायर दिनांकः–04.10.2022
निर्णय दिनांकः–12/5/25

अनवान

1– श्री जयेश उर्फ प्रवीण पुत्र गंगाराम पंचाल जाति लौहार उम्र वयस्क निवासी वमासा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री जयन्तिलाल पिता गंगाराम पंचाल जाति लौहार उम्र वयस्क निवासी वमासा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
2– श्रीमति नाथी बेवा गंगाराम पंचाल जाति लौहार उम्र वयस्क निवासी वमासा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
3– श्रीमति बबली पुत्री गंगाराम पंचाल जाति लौहार उम्र वयस्क निवासी वमासा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
4– भुमिधारी राज्य सरकार जरीये तहसीलदार सागवाडा

(अप्रार्थीगण)

वकील प्रार्थी –
अप्रार्थी – पैरोकार सरकार

दावा बाबत इन्द्राज दुरस्ती करने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भुमि मौजा वमासा प.ह. वमासा मे खाता संख्या 102/113 कुल खसरा 13 कुल रकबा 2.3942 हेक्टर की स्थित है उक्त खाते के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम प्रवीण पिता गंगाराम त्रूटी वश दर्ज हो गया है। प्रार्थी के पहचान व पते के दस्तावेज राशन कार्ड,आधार कार्ड व लाईट बिल आदि मे प्रार्थी का वास्तविक नाम जयेश पिता गंगाराम अकिंत है। राजस्व अधिकारीयो के द्वारा त्रूटी वंश उक्त खाते मे प्रार्थी का वास्तविक नाम जयेश के स्थान पर प्रवीण अकिंत कर दिया है। प्रार्थी को उक्त मामले की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे इन्द्राज दुरस्ती किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जा अप्रार्थी को सम्मन जारी किए गये तामिल के बाद भी कोई अप्रार्थीगण उपस्थित नही आने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई है। अप्रार्थी 4 को सम्मन तामिल पर के उनके द्वारा हल्का पटवारी के द्वारा पेश मौका पर्चा रिर्पोट मय अन्य दस्तावेज के आधार पर अपना जवाव मय रिर्पोट पेश की गई जिस पर अप्रार्थी भुमिधारी के द्वारा अपना जवाव पेश कर प्रार्थी का वास्तविक नाम जयेश पिता गंगाराम होना स्वीकार किया जिस आधार पर वाद विषय पर विवाद शेष नही होने से प्रकरण का निस्तारण इस स्टेज पर किया जाता है।

वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.05.2025 को विरासती नामान्तकरण संख्या 844 दिनांक 27.05.1993 पेश किया गया। जिसमें गंगाराम पिता उदवजी के फोत होने पर वारिसान जयन्तिलाल, प्रविण, कान्ता, बबली, चन्दा, भगवती पिता गगांराम, नाथी बेवा गंगाराम लोहार सा0देह खातेदार दर्ज हुए।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 136 में स्पष्ट उल्लेख है कि राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में पुर्व की प्रविष्ठीयों में शुद्विकरण न्यायालय द्वारा किया जाकर प्रविष्ठी सुधारी जा सकती है। अतः हस्तगत प्रकरण में नाम की त्रुटी विरासती नामान्तकरण प्रार्थी स्वंय के द्वारा खुलवाये जाने से प्रार्थी का विरासती नामान्तकरण उक्त खाते मे खोला गया है। जिस कारण उक्त जमाबन्दी में की गई प्रविष्ठीयों में पुर्व की कोई त्रुटी नही है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी स्वंय के द्वारा कराई गई प्रविष्ठियों में सुधार कराने का अधिकारी नही है।

अतः प्रकरण राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चलने योग्य नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर होवे।

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा